भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 467

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों का परिचालन

467. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री राधेश्याम राठियाः
डॉ. के. सुधाकरः
श्री विद्युत बरन महतोः
श्री शंकर लालवानीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री अनन्त नायकः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः
श्री गोडम नागेशः
डॉ. संजय जायसवालः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाणिज्यिक खनन के लिए नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों को आरंभ करने में हुई प्रगति के साथ छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित देश में उत्पादन शुरू करने वाले ब्लॉकों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वाणिज्यिक कोयला खदानों में हुआ उत्पादन और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा सहित देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में उनका योगदान क्या है;

(ग) क्या ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी कोयला ब्लॉक की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की गई है और यदि हाँ, तो उत्पादन की स्थिति, रोजगार सृजन और उक्त राज्य को प्राप्त राजस्व सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) त्वरित वैधानिक मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, रेल संपर्क और अन्य बुनियादी ढांचागत सहायता के माध्यम से वाणिज्यिक कोयला खदानों के समय पर विकास को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत खनन और स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : 30 जून 2026 तक, वाणिज्यिक खनन नीलामी मार्ग के माध्यम से कुल 132 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इनमें से, 23 ब्लॉकों ने खान खोलने की अनुमति (एमओपी) प्राप्त कर ली है, और 15 ब्लॉक वर्तमान में कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। शेष 8 ब्लॉकों में खान अवसंरचना विकास के माध्यम से काम जारी है, जबकि अन्य 109 ब्लॉक कोयला खान विकास और उत्पादन करार (सीएमडीपीए) के अनुसार अपनी निर्धारित विकास अवधि के भीतर हैं, जो स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण और अवसंरचना सेटअप को कवर करते हुए एक संरचित समयसीमा के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं।

राज्य-विशिष्ट स्थिति:

- **छत्तीसगढ़:** नीलाम किए गए 22 ब्लॉकों में से, 6 ने एमओपी प्राप्त कर ली है, और सभी 6 ब्लॉकों ने उत्पादन शुरू कर दिया है।
- **ओडिशा:** नीलाम किए गए 26 ब्लॉकों में से, 3 ने एमओपी प्राप्त कर ली है। इनमें से, 2 ने उत्पादन शुरू कर दिया है, और 1 में वित्त वर्ष 2026-27 में उत्पादन शुरू होने की अपेक्षा है।

(ख) : देश का कुल घरेलू कोयला उत्पादन लगातार दो वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26) के लिए 1 बिलियन टन (बि.ट.) से अधिक हो गया है, जो इस क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2020 में शुरू की गई वाणिज्यिक खनन पहल ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। वाणिज्यिक खानों से उत्पादन वित्त वर्ष 2021-22 में 1.15 मि.ट. से बढ़कर वित्त वर्ष

2025-26 में 26.12 मि.ट. हो गया है, जो पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 11.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्पादन के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

- **कुल घरेलू उत्पादन:** 1039.81 मिलियन टन (मि.ट.)।
- **कुल वाणिज्यिक उत्पादन:** 26.12 मि.ट.
- **छत्तीसगढ़ (वाणिज्यिक खानें):** 21.45 मि.ट.
- **ओडिशा (वाणिज्यिक खान):** 3.41 मि.ट.

(ग) : वाणिज्यिक कोयला खनन नीति के अंतर्गत ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी कोयला ब्लॉक की नीलामी नहीं की गई है।

(घ) : सरकार ने कोरोबार में सुगमता लाने पर अधिक जोर देते हुए वाणिज्यिक कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए सुधारों का एक व्यापक और संधारणीय कार्यक्रम शुरू किया है। इन पहलों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) और अन्य केंद्रीय तथा राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है।

अन्वेषण के क्षेत्र में, 44 निजी संस्थाओं को प्रत्यायित पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिससे पूर्वेक्षण लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जबकि भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के लिए मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता को एक सुव्यवस्थित सहकर्मी-समीक्षा तंत्र से बदल दिया गया है। इसके अलावा, वन क्षेत्रों में छूट वाले बोरहोल की संख्या को प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में 25 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है, जिससे अधिकांश परियोजनाओं के लिए अन्वेषण प्रक्रिया काफी सरल हो गई है।

सांविधिक मंजूरी के लिए महत्वपूर्ण सुधार भी शुरू किए गए हैं। 'स्थापना के लिए सहमति' को पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया गया है, और 500 हेक्टेयर से कम की परियोजनाओं के लिए ऐसी स्वीकृति देने का अधिकार राज्य-स्तरीय प्राधिकरणों को सौंप दिया गया है। विकास में और तेजी लाने के लिए, कोकिंग कोयले को एक महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक खनिज के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसे सार्वजनिक परामर्श आवश्यकताओं से छूट दी गई है और प्रतिपूरक वनीकरण के लिए क्षतिग्रस्त वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई है। एक प्रमुख प्रक्रियात्मक सुधार में, कोयला नियंत्रक संगठन से खान खोलने की अनुमति की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, और कंपनी का बोर्ड अब यह अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम है। प्रभावी निगरानी और समस्या समाधान सुनिश्चित करने के लिए, कोयला मंत्रालय आवंटितियों, राज्य सरकारों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय के साथ नियमित उच्च-स्तरीय समन्वय बैठकें करता है, और वन भूमि डायवर्जन से संबंधित बाधाओं का समाधान करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति में भाग लेता है। कोयला निकासी के लिए समय पर रेल संपर्क और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना को प्राप्त करने के लिए रेल तथा विद्युत मंत्रालयों के साथ विशेष बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ङ) : सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोयला खनन प्रचालनों को पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से समावेशी तरीके से संचालित किया जाए। सभी कोयला खनन परियोजनाओं को संबंधित संविधियों के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति और वन स्वीकृति दोनों प्राप्त करना अधिदिष्ट है। परियोजना प्रस्तावकों को वायु गुणवत्ता, जल संसाधन, भूमि उपयोग, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण से संभावित प्रभावों का गहन मूल्यांकन करने और एक परियोजना-विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों के साथ-साथ इस योजना की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, जो साइट-विशिष्ट सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती है। इन शर्तों के अनुपालन की कड़ाई से निगरानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई वाणिज्यिक कोयला खान आवंटित नहीं की गई है।
